न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 247 सन 2013

अनवान :–

1. रणवीर पुत्र छोटूराम जाति खाती नाबालिग जरिये कुदरती बली माता मु0 रोशनी पत्नी छोटूराम जाति खाती सानिक सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. छोटूराम पुत्र केसरा जाति खाती निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादी

2. विनोद कुमार पुत्र छोटूराम जाति खाती निवासी सोनडी तहसील नोहर।
3. शर्मिला पुत्री छोटूराम जाति खाती निवासी सोनडी तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
5. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री सालेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

श्री मांगीलाल देहडू अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 19/03/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा सोनडी के खसरा न0 163/0.9100हैक्, खसरा न0 184/1 की 8.1320हैक खसरा न0 487/3 की 1.9480हैक कुल 10.9900हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त विवादित भूमि पूर्व में वादी के दादा पडदादा की भूमि थी जो विरास्तन से वादी के पिता केसरा की मृत्यू के बाद कर्ता खानदान होने के नाते अकेले प्रतिवादी संख्या 1 छोटूराम के नाम से दर्ज हो गई है जबकि छोटॅराम के वारिस वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ख्3 का भी बहिब का जन्म से अधिकार है जिसकी न्यायालय से धोषणा करवाने के अधिकारी है।

वादी नाबलिग बच्चा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 शराबी किस्म का व्यक्ति है वह हमेशा अपने दुव्याशनों की पुति हेतु घर में लडाई झगडा करता रहता है एवं मारपीट करता रहता है वादी की माता वादी के साथ अलग रहती है क्योकि प्रतिवादी संख्या 1 ने निकाल दिया है प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाद भूमि दर्ज होने का फायदा उठा कर कभी रहन बेय या अन्य प्रकार से स्थानान्तरित कर सकता है जिससे वादी को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिये वाद प्रतिवादी संख्या 1 को पाबन्द करवाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 , 3 के हक हिस्सा की भूमि उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे किन्तु कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करता रहा अन्त में इन्कार हो गया इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 139/92 की कुल 10.9900हैक भूमि में से छोटूराम के नाम से दर्ज 158/3/4 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिब राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी का वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 3 ने ईकबाल दावा पेश किया प्रतिवादी संख्या 1 ,2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

प्रतिवादी धरेलू खेतिहर किसान है और किसी प्रकार के व्यसन का आदि नही है जबकि प्रतिवादी की पत्नी रोशनी द्वारा यह कहना की उसके साथ लडाई झगडा मारपीट करता है बिलकुल गलत अंकित किया है प्रतिवादी की पत्नी एक मनचली ओरत है जो अवारा किस्म के लोगो के साथ रहती है वादी ने नाबालिग बच्चा होने का फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 को परेशान करने के लिये वाद पेश किया गया है प्रतिवादी संख्या 1 वाद भूमि को कभी भी बेय नही करना चाहता है ना

ही करेगा जबकि प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नि फरोख्त करना चाहती है ऐसी स्थिति में वाद वादी खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी का जबाब शामिल मिसल किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ने कानुन के सम्बध में कोई ऐतराज पेश नही किया गया है इसलिये तनकी कायम नही की गई उभयपक्षों से साक्ष्य लिये गये वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया जिरह की गई प्रतिवादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया जिरह वादी ने की गई साक्ष्य प्राप्त किये जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई ।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा सोनडी के खसरा न0 163/0.9100हैक , खसरा न0 184/1 की 8.1320हैक खसरा न0 487/3 की 1.9480हैक कुल 10.9900हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त विवादित भूमि पूर्व में वादी के दादा पडदादा की भूमि थी जो विरास्तन से वादी के पिता केसरा की मृत्यू के बाद कर्ता खानदान होने के नाते अकेले प्रतिवादी संख्या 1 छोटूराम के नाम से दर्ज हो गई है जबकि छोटॅराम के वारिस वादी व लरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ख3 का भी बहिब का जन्म से अधिकार है जिसकी न्यायालय से धोषणा करवाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 139/92 की कुल 10.9900हैक भूमि में से छोटूराम के नाम से दर्ज 158/3/4 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिब राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वकील प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रतिवादी धरेलू खेतिहर किसान है और किसी प्रकार के व्यसन का आदि नही है जबकि प्रतिवादी की पत्नी रोशनी द्वारा यह कहना की उसके साथ लडाई झगडा मारपीट करता है बिलकुल गलत अंकित किया है प्रतिवादी की पत्नी एक मनचली ओरत है जो अवारा किस्म के लोगो के साथ रहती है वादी ने नाबालिग बच्चा होने का फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 को परेशान करने के लिये वाद पेश किया गया है प्रतिवादी संख्या 1 वाद भूमि को कभी भी बेय नही करना चाहता है ना ही करेगा जबकि प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नि फरोख्त करना चाहती है ऐसी स्थिति में वाद वादी खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा सोनडी के खसरा न0 163/0.9100हैक , खसरा न0 184/1 की 8.1320हैक खसरा न0 487/3 की 1.9480हैक कुल 10.9900हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2058 रोही मौजा सोनडी के अनुसार वाद भूमि केसरा वल्द रामकिशन के नाम से दर्ज थी अर्थात वादी के दादा के नाम से दर्ज थी वादी के दादा केसरा वल्द रामकिशन के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 छोटूराम के नाम से दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के हकदार है जिसे वादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है ।

अतः वाद का वाद साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खसरा न0 163/0.9100हैक , खसरा न0 184/1 की 8.1320हैक खसरा न0 487/3 की 1.9480हैक कुल 10.9900हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 चारो बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 19/03/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रणवीर पुत्र छोटूराम जाति खाती नाबालिग जरिये कुदरती बली माता मु0 रोशनी पत्नी छोटूराम जाति खाती सानिक सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 छोटूराम पुत्र केसरा जाति खाती निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादी

2. विनोद कुमार पुत्र छोटूराम जाति खाती निवासी सोनडी तहसील नोहर।
3. शर्मिला पुत्री छोटूराम जाति खाती निवासी सोनडी तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
5. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 247 सन 2013 निर्णय दिनांक– 19/03/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खसरा न0 163/0.9100हैक , खसरा न0 184/1 की 8.1320हैक खसरा न0 487/3 की 1.9480हैक कुल 10.9900हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 चारो बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/03/20 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)